भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1990/पौष 1, 1912

No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1990/PAUSA 1, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खंड 3—उपखंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1990

सा.का. नि....752.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) सातवां संशोधन नियम, 1990 है।

(2) यह 31 अगस्त, 1990 से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 की अनुसूची 1 में, राष्ट्रपति के वैयक्तिक सहायक/राष्ट्रपति के सचिव के निजी सचिव के पद से संबंधित क्रम सं. 16 के सामने स्तम्भ 13 के नीचे, खंड (1) में, "जिन्होंने उस पद में न्यूनतम 8 वर्ष नियमित सेवा की हो" और अंक के स्थान पर "जिन्होंने उस पद में कम से कम 6 वर्ष नियमित सेवा की हो" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1976 के अधीन, 2000-60-2300-द.रो.-75-100-3500 रु. के वेतनमान वाले राष्ट्रपति के वैयक्तिक सहायक/राष्ट्रपति के सचिव के निजी सचिव का पद 2000-60-2300 द.रो.-75-3200 रु. के वेतनमान वाले ऐसे ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है जिन्होंने कम से कम 8 वर्ष नियमित सेवा की है जबकि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" आशुलिपिकों के विलयन के पूर्व 2000-60-2300-द.रो.-75-3200-100-3500 रु. के वेतन मान वाले उस सेवा में श्रेणी "क" आशुलिपिकों का पद, 2000-60-2300

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
12	13	14
Not Applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Director, Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad—Chairman. 2. Deputy Drugs Controller (India), Central Durgs Standard Control Organisation (North Zone), Ghazaibad—Member. 3. Group 'A' Officer of other laboratory under Directorate General of Health Services/ Ministry of Health and F.W. – Member. 4. Group 'A' Officer of Central Indian Pharmacopoeia Laboratory, Ghaziabad -- Member.	Not Applicable.

[No. A 12015/3/89-D(DMS&PFA)]

V. JAYARAMAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1990

सा.का.नि. 759.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में तकनीकी सहायक (विकिरण चिकित्सा विज्ञान) के समूह "ग" पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली [(तकनीकी सहायक) विकिरण चिकित्सा विज्ञान] भर्ती नियम, 1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर भर्ती का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

236

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा के जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
तकनीकी सहायक (विकिरण चिकित्सा विज्ञान)	1 (एक)* (1989) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय	1400-40-1800-द.रो.-50-3200 रु.	अचयन	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : 1. आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम जम्मू व कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। 2. रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दिशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
8	9	10
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य। (2) विकिरण चिकित्सा विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा (2 वर्ष का पाठ्यक्रम)। (3) एक्सरे तकनीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण : (1) अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। (2) अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	2 वर्ष

5/10

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

235

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	ऐसे एक्सरे तकनीशियनों में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा।
13	14
समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : 1. आचार्य और बाल चिकित्सा विज्ञान विभाग का अध्यक्ष—अध्यक्ष। 2. विकिरण चिकित्सा विज्ञान विभाग का अध्यक्ष—सदस्य। 3. उप चिकित्सा अधीक्षक—सदस्य। 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी—सदस्य।	लागू नहीं होता।

[संख्या ए. 12018/25/89-आर.आर. (एम ई-यू जी सेल)]

एच.एन. यादव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 1990

G.S.R. 759.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regluating the method of recruitment to the Group 'D' post of Technical Assistant (Padiology) in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi [Technical Assistant (Radiology)] Recruitment Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of said post, its classifiaction and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

Asstt Controller (Business)
...ication
Civil Lines. Delhi-54

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment	Whether benefit of added years of service addmissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension), Rules, 1972.
1	2	3	4	5	6	7
Technical Assistant (Radiology)	1 (one)* (1989) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800.—EB 50-2300	Non-selection	Between 18 to 25 years* (Relaxable for Govt. servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). *Note : 1 (1) The crucial date of determining the age limits shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Sipiti District and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). (2) In case of recruitment through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	No

Attested
5/10

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancy to be filled by various methods.
8	9	10	11
(1) Matriculation or its equivalent qualification from a recognised Board. (2) Degree/Diploma (2 years course) in Radiology. (3) Two years Experience as X-Ray Technician. Notes : (1) Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified. (2) The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	2 years	By promotion failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12	13	14
Promotion from X-Ray Technician with 5 years regular service in the grade.	Group 'C' DPC consisting of: 1. Professor and Head of Paediatrics Department —Chairman. 2. Head of the Radiology Department—Member . 3. Deputy Medical Superintendent—Member. 4. Chief Administrative Officer/Administrative Officer—Member.	Not applicable.

[No. A-12018/25/89-R.R. (ME-UG Desk)]

H.N. YADAV, Desk Officer

Attested
[signature] 5/10

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54